KUMAUN GARHWAL
CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
UTTARAKHAND
CHAMBER HOUSE, INDUSTRIAL ESTATE, BAZPUR ROAD, KASHIPUR, DISTT. U. S. NAGAR (UTTARAKHAND)
Phone : (05947) 262478, Fax : (05947) 262078, E-mail : kgcci10@gmail.com, Website : www.kgcci.in

प्रेस विज्ञप्ति

दिनाँक : 03 अप्रैल, 2025

दिनाँक 2 अप्रैल, 2025 को होटल रूद्रा कॉन्टीनेन्टल, रूद्रपुर में कुमायूँ गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की बोर्ड मीटिंग का आयोजन केजीसीसीआई अध्यक्ष, श्री अशोक बंसल की अध्यक्षता में किया गया। बैठक का संचालन चैम्बर के महासचिव, श्री आर के गुप्ता द्वारा किया गया।

बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा शासन में नवनियुक्त मुख्य सचिव, श्री आनन्द बर्धन को बधाई दी गयी तथा हर्ष व्यक्त किया गया कि श्री आनन्द बर्धन द्वारा शासन में विभिन्न पदों पर रहते हुए उद्योग और राज्य के विकास के लिए जो कार्य किए हैं, वे अत्यन्त सराहनीय हैं।

केजीसीसीआई अध्यक्ष, श्री अशोक बंसल द्वारा अवगत कराया गया कि जब श्री आनन्द बर्धन जी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे, उस समय उनके द्वारा कुमायूँ गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के अध्यक्ष को बोर्ड में नामित किया गया था। यह निर्णय न केवल उद्योग जगत के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि इससे केजीसीसीआई की भूमिका को भी नई पहचान मिली।

बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा एकमत से विश्वास व्यक्त किया गया कि श्री आनन्द बर्धन जी के मुख्य सचिव पद ग्रहण करने पर उनके नेतृत्व, अनुभव और दूरदर्शिता से राज्य और उद्योग क्षेत्र नई ऊंचाईयों को हासिल करेंगे। श्री अशोक बंसल द्वारा नव नियुक्त मुख्य सचिव को उनके द्वारा शासन स्तर पर बनायी जाने वाली हर नई नीति और पहल में पूर्ण सहयोग और समर्थन देने का आश्वासन दिया गया तथा श्री आनन्द बर्धन जी को पुनः मुख्य सचिव पद की नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएँ दी गयीं एवं सफल कार्यकाल हेतु मंगलकामना की गयी।

बैठक में उद्योगों के समक्ष आ रही विभिन्न समस्याओं जैसे– आबकारी विभाग से उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले मैथनॉल के परिवहन पर उत्पन्न की जा रही अनावश्यक परेशानी, कुछ उद्योगों द्वारा सीडा से नक्शा पास कराने के उपरान्त कराए गए निर्माण कार्यों पर जिला विकास प्राधिकरण द्वारा अड़चन पैदा करने हेतु उन्हें निर्माण कार्य रोकने हेतु नोटिस भेजे जा रहे हैं जो कि नियम के विरुद्ध है क्योंकि उद्योगों के नक्शा पास करने के लिए ही सरकार द्वारा राज्य में सीडा का गठन किया गया है। इस प्रकार दो सरकारी विभागों में परस्पर सामंजस्य

न होने का खामियाजा उद्योगों को भुगतना पड़ रहा है तथा उद्योगों का निर्माण कार्य अवरुद्ध हो गया है। जिला विकास प्राधिकरण की मनमानी से उद्योगों का निर्माण कार्य निर्माण कार्य पूरा न होने पर उनका प्रोडक्शन भी तय समय सीमा में चालू नहीं हो पाएगा जिससे ये उद्योग पॉलिसी के तहत मिलने वाले लाभों से वंचित रह सकते हैं। इस पर बैठक में उपस्थित समस्त उद्यमियों द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया तथा शासन से माँग की गयी कि जिला विकास प्राधिकरण को सीडा द्वारा पास किए गए उद्योगों के नक्शों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है अतः उसके द्वारा की जा रही अवैधानिक कार्यवाही को तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए।

केजीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष, श्री विकास जिंदल द्वारा अवगत कराया गया कि मेगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, 2021 की अवधि 31 मार्च, 2025 को खत्म हो चुकी है। इसके अन्तर्गत कुछ उद्योगों द्वारा अपना विस्तारीकरण किया गया है तथा कुछ नए उद्योग भी स्थापित हुए हैं लेकिन उनके स्थापना के कार्य अभी पूर्ण नहीं हो पाए हैं अतः उक्त पॉलिसी की अवधि 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाए जाने हेतु शासन से शासनादेश जारी कराने की माँग की गयी।

तदुपरान्त महासचिव, श्री आर. के. गुप्ता द्वारा माह मार्च, 2025 में केजीसीसीआई द्वारा सम्पन्न कराए गए क्रियाकलापों के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया तथा बैठक में उपस्थित नए सदस्यों को चैम्बर की सदस्यता के प्रमाण–पत्र भी वितरित किए गए।

बैठक में चैम्बर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री आलोक कुमार गोयल, निवर्तमान अध्यक्ष श्री विनीत कुमार संगल, पेपर यूनिट चैप्टर चेयरमैन श्री नवीन झांजी, स्टील यूनिट चैप्टर चेयरमैन श्री रामकुमार अग्रवाल, श्री नितिन अग्रवाल, श्री भास्कर शर्मा, श्री विकास सिंह, श्री बी. वी. श्रीधर, श्री प्रवीण कुमार पंवार, चैम्बर के महुआखेड़ागंज जोनल चेयरमैन श्री अतुल असावा, सिडकुल पन्तनगर जोनल चेयरमैन श्री अनूप सिंह, सितारगंज जोनल चेयरमैन श्री दुर्गेश मोहन, श्री अमित गर्ग, श्री अंशु मित्तल, श्री संजय सिंह, एच बार सब–कमेटी चेयरमैन श्री संजीव तोमर, श्री नरेष कुमार घई, डॉ. जी. एस. तिवारी, श्री आशीष कुमार अग्रवाल आदि उपस्थित थे।

अशोक बंसल
अध्यक्ष